संख्या सा-3-2693/दस-89-3/82

प्रेषक,

श्री सोमदत्त त्यागी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 15 नवम्बर, 1989

विषय : पारिवारिक पेंशन की पात्रता के लिये पुत्र एवं पुत्री की निर्धारित आयु सीमा में वृद्धि ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नई पारिवारिक पेंशन योजना 1965 के अन्तर्गत योजना से शासित सरकारी सेवकों की सेवारत दशा में अथवा सेवानिवृत्ति के उपरान्त मृत्यु हो जाने पर देय पारिवारिक पेंशन की पात्रता हेतु शासनादेश संख्या सा-3-1382/दस-3/82, दिनांक 6 सितम्बर, 1982 द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 1982 से निर्धारित पुत्र एवं पुत्री की आयु सीमाओं के अधिकतम क्रमशः 21 वर्ष तथा 24 वर्ष के संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने यह आदेश दिये हैं कि नई पारिवारिक पेंशन योजना 1965 के अधीन पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति हेतु पात्र पुत्र/पुत्री की अधिकतम आयु सीमा में निम्न प्रकार वृद्धि कर दी जाये :-

(1) पुत्र की निर्धारित आयु सीमा को 21 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष या जबसे वह जीविकोपार्जन करने लगे, जो भी पहले हो तब, तथा

(2) पुत्री के मामले में 24 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष अथवा उसका विवाह अथवा जीविकोपार्जन करने की तिथि, जो भी पहले हो, तब ।

2. आयु सीमा में उपरोक्त संशोधन पारिवारिक पेंशन हेतु पात्र ऐसे पुत्र एवं पुत्री के संबंध में लागू होगा जिसकी आयु इस शासनादेश के जारी होने की तिथि तक क्रमशः 21 वर्ष एवं 24 वर्ष नहीं हुई थी। इन आदेशों का शासनादेश संख्या सा-3-1155/दस-2/81, दिनांक 6 अगस्त, 1981 की व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

.... 2

3. नई पारिवारिक पेंशन योजना 1965 के संबंधित प्रावधानों को उपरोक्तानुसार संशोधित समझा जायेगा ।

भवदीय,

(सोमदत्त त्यागी)
सचिव ।

संख्या सा-3-2693(1)/दस-87-3/82

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, (लेखा एवं हकदारी), इलाहाबाद ।
2. सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, लखनऊ ।
3. राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
4. प्रधानाचार्य, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ ।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
6. समस्त कोषागार, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,

(गणेश दत्त दीक्षित)
उप सचिव ।